

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जादा नीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम) मुकाम जयपुर व

इजलास श्रीमती अरशदीप बराड (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 47 / 2020

1-श्रीमती जतन कंवर पत्नि स्व० शेर सिंह, पुत्री श्री प्रेमसिंह राजवात, जाति राजपूत, निवासी प्लॉट नम्बर 7, शिवाजी नगर, राधाविहार के पास, कालवाड रोड़, जयपुर।

.....वादी

बनाम

- 1-प्रेम सिंह राजावत पुत्र स्व० श्री नारायण सिंह राजावत, निवासी प्लॉट नम्बर 88, स्कीम नम्बर 5, परसराम नगर, ढेहर का बालाजी, सीकर रोड़, जयपुर।
- 2-कमल सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह राजावत, निवासी प्लॉट नम्बर 88, स्कीम नम्बर 5, परसराम नगर, ढेहर का बालाजी, सीकर रोड़, जयपुर।
- 3-श्रीमती रतन कंवर पत्नि श्री श्रवण सिंह राठौड़ पुत्री श्री प्रेमसिंह राजावत, निवासी एसीवी ऑफिस चूरु (राज०)
- 4-श्रीमती फतेह कंवर पत्नि श्री मंगेसिंह राठौड़, पुत्री श्री प्रेमसिंह राजावत, निवासी प्लॉट नम्बर 6, शिवाजी नगर, राधाविहार के पास, कालवाड रोड़, जयपुर।
- 5-तहसीलदार, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
- 6-उप महानिरीक्षक मुद्रांक, कलक्ट्रेट परिसर, जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा, घोषणा एवं रथाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रुबरु श्रीमती अरशदीप बराड व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव मुद्दई रुबरु प्रतिवादीगण मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ग्राम कालवाड, प० ह० कालवाड, भू०अ०निरीक्षक क्षेत्र कालवाड, तहसील व जिला जयपुर स्थित हाल खसरा नम्बर 1140/1086 रकबा 3.0368 हैक्टयेर खातेदार प्रेमसिंह के फौत हो जाने के कारण धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार नामान्तकरण करें। मूल प्रतिवादी के फौत होने उपरांत वाद कारण ही फौत हो जाता है तथा वाजिब वाद कारण न होने से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया जाता है।

इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज मुबलिंग बाबत फीसदी

..... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का

अदा करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/04/2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
अरशदीप बराड (आर.ए.एस.)
ओहदासहायक कलक्टर